न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

...ान अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

...दमा संख्या: 42/2024 — दर्ज दिनांक: 25.10.2024

...जी.सी.एम.एस. न0: 2024/347 — निर्णय दिनांक: 09/01/2025

ओमप्रकाश पुत्र मोहन जाति मीणा निवासी पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

अप्रार्थी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय — दिनांक:– 09-01-2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा संख्या 1510 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र मोहन के बजाय गोरधन पुत्र मोहन दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का यह गलत नाम सहवन से दर्ज किया गया। प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र मोहन है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 1510 रकबा 1.13 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गोरधन पुत्र मोहन के बजाय ओमप्रकाश पुत्र मोहन शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी से जबाब/तथ्यात्मक जांच प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि राजस्व ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा संख्या 1510 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र मोहन के बजाय गोरधन पुत्र मोहन दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का यह गलत नाम सहवन से दर्ज किया गया। प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र मोहन है।अत: राजस्व ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 1510 रकबा 1.13 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गोरधन पुत्र मोहन के बजाय ओमप्रकाश पुत्र मोहन शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि राज–हित के मध्यनजर निर्णय पारित किया जाना प्रार्थनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

CamScanner

एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि प्रार्थी ने अपना ... पुत्र मोहन के बजाय ओमप्रकाश पुत्र मोहन शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश ...है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक एवं तथ्यात्मक जॉच रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी के अवलोकन से जाहीर होता है कि ...र्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र मोहन है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 1510 रकबा 1.13 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गोरधन पुत्र मोहन के बजाय ओमप्रकाश पुत्र मोहन शुद्व/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

CamScanner